BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक 12 मार्च, 2023 **थाना डिबाई**

विधायक बनकर पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों को फोन कर रोब जमाने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना हैं कि सीआरपीएफ का बर्खास्त सिपाही भूपेन्द्र सिंह जो सीआरपीएफ का फर्जी डिप्टी कमान्डेट बनकर बेरोजगार युवको से नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये ठगने की घटना कारित करता था। जिसे दिनांक 12.01.2023 को थाना डिबाई पुलिस द्वारा थाना डिबाई पर पंजीकृत मुअसं-691/22 धारा 147,323,341,506,120बी,419,420,467,468,471 भादवि में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

उक्त अभियोग में विवेचान्तमक कार्यवाही/छानबीन से प्रकाश में आये अभियुक्त संजय ओझा को थाना डिबाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना डिबाई पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- संजय ओझा पुत्र विनोद कुमार ओझा निवासी मौ0 कायस्थवाडा कस्बा व थाना जहांगीराबाद।

उल्लेखनीय हैं कि गिरफ्तार अभियुक्त संजय ओझा, अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह के साथ मिलकर भोलेभाले लोगो से नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये ठगने का काम करता था। अभियुक्त संजय ओझा द्वारा भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही को रोकने, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत न होने देने व अभियोग लिखे जाने पर अंतिम रिपोर्ट लगवाने के लिए 15 लाख रुपये अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह से लेने की स्वीकारोक्ति की गयी हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्त संजय ओझा खुद को विधायक बताकर पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों को फोन कर उनके क्षेत्र से सम्बन्धित प्रकरण में रोब जमाकर दबाव बनाने का प्रयास करता था। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अन्य लोगो से ठगी करने के सम्बन्ध में जांच/छानबीन की जा रही हैं।

अभियुक्त भूपेन्द्र का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-691/22 धारा 147,323,341,506,120बी,419,420,467,468,471 भादवि थाना डिबाई बलन्दशहर।
2. मुअसं- 453/15 धारा 406 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. एनसीआर-78/15 धारा 352/506 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. एनसीआर-81/15 धारा 506 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. श्री छोटे सिंह प्रभारी निरीक्षक डिबाई।
2. उ0नि0 आवेश कुमार
3. का0 अवनीश कुमार, का0 सुखवेन्द्र

मीडिया सैल बुलन्दशहर